उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

24/1/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:07:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 257/22 प्रकरण

सत्यनारायण s/o कन्हैयालाल झंवर निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

--प्रार्थी

बनाम

तारानन्द s/o कन्हैयालाल महाजन निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (कौंग) (पुरतक्षित प्रावधानांकन)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 24-01-23

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन क ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके युक्त खाते की आराजी नं. 5623, 5624, 5637, 5638, 9808/5509 कुल किता 05 रकबा 0.4805 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावें।

र्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते कि की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 5623, 5624, 5637, 5638, 9808/5509 किता 05 रकबा 0.4805 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ने हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख माण्डल को 500/- [illegible] फीस जमा होने रान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये [illegible] वकील बिन्दु को आधार पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:07:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा